न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 30/2025

01. बक्साराम पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर हाल चक 23 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

......वादी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

निर्णय **दिनांक :–28.05.25**

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 23 बीडी सी के मु0नं0 54/64 के किला नं0 1 ता 25 में 25.00 बीघा क0/अ0क0 (6. 3225 है0) कृषि भूमि पुख्ता आवंटन मिसल सं0 35/एच/परबतसर दिनांक 17.02.1982 आवंटन आदेश दिनांक 17.02.1982 को श्रीमान आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर योजना मु0 बीकानेर द्वारा प्रार्थी रामबक्स पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर जिला नागौर को पुख्ता आवंटन की थी। प्रार्थी द्वारा उक्त पुख्ता आवंटन कृषि भूमि का अमलदरामद नामान्तरकरण को राजस्व रिकॉर्ड स्वीकृत करवा दिया था परन्तु सहवन से आवंटन आदेश जारी करते समय आवंटन अधिकारी द्वारा रामबक्स पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर जिला नागौर के नाम से चक 23 बीडी सी मु0नं0 54/64 के किला नं0 1 ता 25 में 25.00 बीघा क0/अ0क0 (6. 3225 है0) कृषि भूमि पुख्ता आवंटन कर दिया गया था। जबकि आवंटी का सही नाम बक्साराम पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर जिला नागौर है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन का नाम रामबक्स पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर जिला नागौर के राजस्व तहसील खाजूवाला चक 23 बीडी सी मु0नं0 54/64 के किला नं0 1 ता 25 में 25.00 बीघा क0/अ0क0 कृषि भूमि खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। आवंटन अधिकारी ने आवंटन आदेश जारी करते समय प्रार्थी का नाम बक्साराम के स्थान पर रामबक्स कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेजों व मूल आवंटन पत्रावली में बक्साराम पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर जिला नागौर के नाम से थे। इसलिए सहवन से दर्ज प्रार्थी का नाम रामबक्स के स्थान पर बक्साराम दुरूस्त करने योग्य है। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश पारित करने से पहले संलग्न पहचान के दस्तावेज परिचयपत्र, मूलनिवास व अन्य दस्तावेजो का अवलोकन ही नहीं किया। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सहवन से प्रार्थी का नाम रामबक्स के स्थान पर बक्साराम अधीनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आवंटी का नाम रामबक्स पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर जिला नागौर के स्थान पर बक्साराम पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर जिला नागौर दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट पत्रांक/443 दिनांक 23.04.25 अनुसार चक 23 बीडी सी मु0नं0 54/64 के किला नं0 1 ता 25 में 6.3225 है0 क0/अ0क0 रकबा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2075–78 अनुसार रामबक्स पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर जिला नागौर खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन/वाद–विवाद का नोट अंकन नहीं है। मौके पर काश्तकार द्वारा कब्जाकाश्त है। संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की ऑनलाईन जमाबन्दी में रामबक्स पुत्र आसूराम के स्थान पर अपनी पहचान के दस्तावेज व आवंटन पत्रावली के आधार पर सही नाम बक्साराम पुत्र आसूराम करवाना चाहता है जो कि शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी/वादी द्वारा वादपत्र को साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आवंटन आदेश, सीएडी रिपोर्ट, आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, पहचानपत्र, पैनकार्ड, राशनकार्ड, मूलनिवास इत्यादि की छायाप्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थनापत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 23 बीडी सी मु0नं0 54/64 के किला नं0 1 ता 25 में 25.00 बीघा क0/अ0क0 (6.3225 है0) कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामबक्स पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील पर्वतसर जिला नागौर के स्थान पर बक्साराम पुत्र आसूराम जाति बलाई निवासी गुणावती तहसील परबतसर जिला नागौर नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.05.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)